

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/ब्लॉक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का जिम्मा (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किराए दायिगता के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नकशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की भवन निर्माण केवल आवासीय प्रयोजनार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 301 दिनांक 09/09/2020

जी+)

आवासीय

प्राथमिक शीमरी सुष्मा चौधरी W/O श्री मोहन राम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23666/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/4616, 4617

दिनांक 09/09/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 04 सेक्टर-ए-अमितापुरा  
 मसुरिया

दिनांक 10/9/2020

सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

Resd  
 Parraj Vankh  
 Hdw.

9783295000